

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
विकास आयुक्त का कार्यालय
सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096



Government of India
Ministry of Commerce & Industry
Office of the Development Commissioner
SEEPZ Special Economic Zone
Andheri (E), Mumbai - 400096

वेबसाइट: www.seepz.gov.in | ई-मेल: dcseepz-mah@nic.in | टेलीफोन: 022-28290856/28294700

सं.सीपज़-सेज़/श्रम/505/2015-16/पार्ट-II/ 77470

दिनांक: 27-08-2026

परिपत्र सं. श्रम/ 34/2026

भारत सरकार/महाराष्ट्र सरकार द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के विकास आयुक्त को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थित इकाइयों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन तथा किसी भी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार क्षेत्र इस कार्यालय के पास है। इसके अतिरिक्त, विकास आयुक्त द्वारा कार्यालय आदेश संख्या 199/200 दिनांक 16.10.2020 के माध्यम से उक्त शक्तियाँ उप विकास आयुक्त को प्रत्यायोजित की गई हैं। वर्तमान में सीपज़ (इलेक्ट्रॉनिक्स) एवं जेम्स एंड ज्वेलरी क्षेत्रों में कार्यरत अकुशल, अर्ध-कुशल एवं कुशल श्रमिकों/कर्मचारियों के लिए लागू न्यूनतम मजदूरी निम्नानुसार है:- (दिनांक 01.07.2026 से 31.12.2026 की अवधि के लिए विशेष भत्ता संशोधित किया गया है।)

1. जेम तथा ज्वेलरी यूनिट्स (अवशिष्ट उद्योग):-

	कुशल	अर्धकुशल	अकुशल
मूल मजदूरी	Rs. 12605	Rs. 11445	Rs. 10350
विशेष भत्ता	Rs. 3600	Rs. 3600	Rs. 3600
कुल	Rs. 16205	Rs. 15045	Rs. 13950
मकान किराया भत्ता (5%)	Rs. 810	Rs. 752	Rs. 698
न्यूनतम मजदूरी	Rs. 17015	Rs. 15797	Rs. 14648

2. दुकाने तथा प्रतिष्ठान:-

	कुशल	अर्धकुशल	अकुशल
मूल मजदूरी	रु. 11632	रु. 10856	रु. 10021
विशेष भत्ता	रु. 4134	रु. 4134	रु. 4134
कुल	रु. 15766	रु. 14990	रु. 14155
मकान किराया भत्ता (5%)	रु. 788	रु. 750	रु. 708
न्यूनतम मजदूरी	रु. 16554	रु. 15740	रु. 14863

3.सीप्ज(इलेट्रॉनेक्स):-

	कुशल	अर्धकुशल	अकुशल
मूल मजदूरी	रु. 6300	रु. 5800	रु. 5300
विशेष भत्ता	रु. 7157	रु. 7157	रु. 7157
कुल	रु. 13457	रु. 12957	रु. 12457
मकान किराया भत्ता (5%)	रु. 673	रु. 648	रु. 623
न्यूनतम मजदूरी	रु. 14130	रु. 13605	रु. 13080

श्रम विभाग, महाराष्ट्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वर्ष- 1 जनवरी तथा 1 जुलाई से विशेष भत्ता संशोधित किया जाता है।

यूनिटों को निदेश दिया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनका कोई कर्मचारी किसी भी समय न्यूनतम मजदूरी से वंचित न रहे। जोन प्रसाशन यह सुनिश्चित करने के लिए कि नियोक्ताओं द्वारा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाता रहे, निर्दिष्ट अवधि के भुगतान रजिस्ट्रों की फोटो कापीया मंगवाकर रिकार्डों तथा रजिस्ट्रों की जांच नियमित रूप से करता रहेगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

Digitally signed by
RAHUL V SHIVANNAGOL
Date: 27-08-2026
18:04:42

(राहुल शिवणगोल)
सहायक विकास आयुक्त, श्रम अनुभाग
सीप्ज-सेज

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
विकास आयुक्त का कार्यालय
सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096



Government of India
Ministry of Commerce & Industry
Office of the Development Commissioner
SEEPZ Special Economic Zone
Andheri (E), Mumbai - 400096

वेबसाइट: www.seepz.gov.in | ई-मेल: dcseepz-mah@nic.in | टेलीफोन: 022-28290856/28294700

F.NO. SEEPZ SEZ/LAB/505/2015 -16/Part II/ 77470 Date: 27.08.2026

CIRCULAR NO./LAB/ 34/2026

In accordance with the powers delegated to the Development Commissioner of SEZ by the Govt. of Maharashtra, under the Minimum Wages Act, 1948 the jurisdiction in respect of units in SEZs for implementation as well as for taking necessary action for violation, if any, are with this office. Further this power has been delegated to Deputy Development Commissioner by Development Commissioner vide Office Order No. 199/200 dated 16.10.2020. As on date, the minimum wages applicable to the un-skilled, semi-skilled and skilled workers/employees in the SEEPZ (Electronics) and Gems and Jewellery Sectors are mentioned below:- (Special Allowance revised for the period of 01.07.2026 to 31.12.2026)

1. Gem & Jewellery Units (Residuary Employment):-

	Skilled	Semi-Skilled	Un-Skilled
Basic Wage	Rs. 12605	Rs. 11445	Rs. 10350
Special Allowance	Rs. 3600	Rs. 3600	Rs. 3600
Total	Rs. 16205	Rs. 15045	Rs. 13950
HRA (5%)	Rs. 810	Rs. 752	Rs. 698
Minimum Wages	Rs. 17015	Rs. 15797	Rs. 14648

2. Bombay Shops and Establishment:-

	Skilled	Semi-Skilled	Un-Skilled
Basic Wages	Rs. 11632	Rs. 10856	Rs. 10021
Special Allowance	Rs. 4134	Rs. 4134	Rs. 4134
Total	Rs. 15766	Rs. 14990	Rs. 14155
HRA (5%)	Rs. 788	Rs. 750	Rs. 708
Minimum Wages	Rs. 16554	Rs. 15740	Rs. 14863

3. SEEPZ (Electronics) :-

	Skilled	Semi-Skilled	Un-Skilled
Basic Wages	Rs. 6300	Rs. 5800	Rs. 5300
Special Allowance	Rs. 7157	Rs. 7157	Rs. 7157
Total	Rs. 13457	Rs. 12957	Rs. 12457
HRA (5%)	Rs. 673	Rs. 648	Rs. 623
Minimum Wages	Rs. 14130	Rs. 13605	Rs. 13080

The Special Allowance is revised twice in a year i.e. with effect from 1st January and 1st July by the appropriate authority in the Labour Department of the Govt. of Maharashtra.

The units are directed to ensure that no employee is deprived of the minimum wages at any point of time. The Zone Administration will be regularly verifying the records and registers to ensure payment of minimum wages by employers, by obtaining photo copies of payment register for specified period.

This issues with the approval of Competent Authority.

Yours faithfully,



27-08-2026

Rahul V. Shivannagol,
Assistant Development Commissioner, Labour Section
SEEPZ-SEZ.